शम्भु दयाल पी०जी० कॉलेज, गाज़ियाबाद

कॉलेज का संक्षिप्त परिचय

शम्भु दयाल पी०जी० कॉलेज देश की राजधानी दिल्ली की सीमा से लगे प्रसिद्ध नगर गाजियाबाद में स्थित है। महाविद्यालय पहले आगरा विश्वविद्यालय (1962 से 1965 तक) से सम्बद्ध रहा। जबकि अब यह चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (1965) से सम्बद्ध है। यह विश्वविद्यालय के ख्याति प्राप्त महाविद्यालयों में से एक है।

ज्ञान की सुगन्ध को चहुँ ओर बिखेरती यह संस्था, एक संकल्प का बोधिवृक्ष है, जिसका बीजारोपण प्रतिष्ठित, सम्भ्रान्त, महान समाजसेवी, विद्याप्रेमी, रायबहादुर लाला शम्भुदयाल जी ने 1917 में अपनी सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति को लोक कल्याणकारी ट्रस्ट बनाकर किया। 'शम्भुदयाल हाईस्कूल' के रूप में विद्यालय शुरु होकर इस संस्था को सन् 1945 में इण्टरमीडिएट कॉलेज के रुप में मान्यता मिली। उत्तरोतर विकास के इसी क्रम में इस संस्था को सन् 1963 में स्नातक और 1965 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। महाविद्यालय में सन् 1993 में वाणिज्य संकाय और सन् 2003–04 में शिक्षा संकाय का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। इसी क्रम में सन् 1999 से कॉलेज में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का केन्द्र भी सुचारु रुप से चल रहा है।

वर्तमान में कॉलेज में कला संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध स्तर तक अध्ययन की सुविधा है। वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय में स्नातक स्तरीय अध्ययन सुचारु रूप से चल रहा है। महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए बड़ी संख्या में पुस्तकों तथा पत्र–पत्रिकाओं से सम्पन्न पुस्तकालय, वाचनालय, शोध मीमांसा मंच, रोजगार–सूचना एवं परामर्श केन्द्र तथा आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं। छात्र–कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एन०सी०सी० एवं एन०एस०एस० छात्र–छात्रा की दो इकाइयों द्वारा विद्यार्थियों में देश व समाज के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न किया जाता है।

महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए समुचित वातावरण प्रदान करना है। यह संस्था धर्म, जाति तथा सम्प्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर धर्म–निरपेक्षता तथा 'सामाजिक न्याय' जैसे जीवन को प्रश्रय देने पर बल देती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही कॉलेज ने शिक्षा–जगत में यश अर्जित करके महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है।

अनुक्रमणिका

1.	कॉलेज में उपलब्ध अध्ययन के विषय	03
2.	नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश	05
3.	स्नातक स्तरीय कक्षाओं का पाठ्यक्रम	13
4.	प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश	18
5.	कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएँ/पाठ्येत्तर गतिविधियाँ	19
6.	संकाय सदस्य	22
7.	समिति प्रकोष्ठ तथा पोर्टल समन्वयक	24
8.	सामान्य प्रवेश नियम	26
9.	अति आवश्यक निर्देश	36
10.	अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ, सामान्य व्यवहार सम्बन्धी निर्देश	37
11.	अनुशासन सम्बन्धी नियम	38
12.	पुस्तकालय के नियम	39
13.	सामान्य निर्देश	40
14.	महाविद्यालय प्रबन्ध समिति	41
15.	शुल्क विवरण	42
16.	प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, परिचय पत्र फार्म सहित	

कॉलेज में उपलब्ध अध्ययन के विषय

शम्भु दयाल महाविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर अध्ययन एवं शोधकार्य की सुविधा उपलब्ध है।

पीएच०डी० (शोध उपाधि)

कॉलेज में अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मनोविज्ञान में शोध करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन छात्र–छात्राओं ने स्नातकोत्तर कक्षा में 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक अर्जित किये हैं, वे शोध उपाधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हताओं UGC-NET/JRF अथवा पीएच०डी० प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पंजीकरण करवा सकते हैं।

स्नातकोत्तर स्तर

महाविद्यालय में कला संकाय में द्विवर्षीय (चार सेमेस्टर) स्नातकोत्तर 'एम०ए०' उपाधि के लिये निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की सुविधा है।

क्रम सं०	विषय	उपलब्ध सीट	क्रम सं०	विषय	उपलब्ध सीट
1.	अंग्रेजी साहित्य	60	5.	हिन्दी साहित्य	60
2.	अर्थशास्त्र	60	6.	समाजशास्त्र	60
3.	राजनीतिशास्त्र	60	7.	इतिहास	60
4.	मनोविज्ञान	20			

स्नातक स्तर कला संकाय

कला संकाय में त्रिवर्षीय स्नातक 'बी० ए०' उपाधि के लिये निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है।

क्रम सं०	विषय	उपलब्ध सीट	क्रम सं०	विषय	उपलब्ध सीट
1.	अंग्रेजी साहित्य	180	6.	हिन्दी साहित्य	180
2.	अर्थशास्त्र	180	7.	समाजशास्त्र	180
3.	राजनीतिशास्त्र	180	8.	इतिहास	60
4.	मनोविज्ञान	60	9.	भूगोल	60
5.	पुस्तकालय विज्ञान	60			

नोटः

1. सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर बी०ए० एवं बी०कॉम० का पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति (2020) के अनुरूप संचालित हो रहा है। इन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है।
2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी सत्र 2024–25 से 'नई शिक्षा नीति' के अनुरूप संचालित हो रहा है।

वाणिज्य संकाय – बी०कॉम० (स्ववित्त पोषित)

बी०कॉम० के नवप्रेषित विद्यार्थी को सभी अनिवार्य विषय/पाठ्यक्रम लेने होंगे। बी०कॉम० में (स्ववित्त पोषित) योजना के अन्तर्गत तीन सैक्शन स्वीकृत हैं, जिनमें कुल 180 उपलब्ध सीट हैं। प्रवेश के सामान्य नियमों के सभी प्रावधान बी०कॉम० में प्रवेश हेतु लागू होंगे। इसमें प्रवेश हेतु वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश अनुमन्य होगा। बनाने हेतु मान्य होंगे।

बी०कॉम० प्रवेश के अन्य विशेष नियम निम्नवत हैं :–

बी०कॉम० प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मेरिट सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जायेगा, जिन्होने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हैं। बी०कॉम० प्रवेश हेतु मैरिट लिस्ट तैयार के आधार पर प्रवेश किया जायेगा। मेरिट लिस्ट इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनाया जाएगा।

शिक्षा संकाय – बी०एड० (स्ववित्त पोषित)

महाविद्यालय के बी०एड० विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 100 छात्र–छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था है। प्रवेश के सामान्य नियम, सभी प्रावधान बी०एड० के प्रवेश में अनुमन्य हैं। बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों (2014) के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय के नियम बी०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

अध्ययन केन्द्र (2741)
(इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अध्ययन एक केन्द्र महाविद्यालय में वर्ष 1999 से संचालित है। जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है। इस केन्द्र में **बी.ए. डिग्री प्रोग्राम:** B.A. (कला) (BAM), (कम्प्यूटर आवेदन) (BCA_NEW), (वाणिज्य) (BCOMF),(सोशल कार्य) (BSFW),

स्नातक ओनर्स डिग्री प्रोग्राम: B.A. (**ओनर्स**) **अर्थशास्त्र** (BAECH), **इतिहास** (BAHIH), राजनीति विज्ञान(BAPSH), **पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन** (BAPAH), **हिन्दी** (BAHDH), समाजशास्त्र (BASOH),**इंग्लिश** (BAEGH)

एम.ए. डिग्री प्रोग्राम: M.A. (**इंग्लिश**) (MAEG), (**राजनीति विज्ञान**) (MPS), (**इतिहास**) (MAHI), (**समाजशास्त्र प्रोग्राम:**) (MASO), (**अर्थशास्त्र**) (MAEC), M.A. (**पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन**) (MPA), (कम्प्यूटर आवेदन) (MCA_NEW), (सामाजिक कार्य) (MSW), (सामाजिक कार्य) (Counselling) (MSWC), (दूरस्थ शिक्षा) (MADE),

पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम: Postgraduate Diploma in Higher Education (PGDHE), Postgraduate Diploma in Educational Technology (PGDET), Postgraduate Diploma in Computer Applications (PGDCA_NEW), Postgraduate Diploma in Social Work Counselling (PGDCOUN), Postgraduate Diploma in Distance education (PGDDE),

डिप्लोमा प्रोग्राम : Diploma in early Childhood Care and Education (DECE), Diploma in Nutrition and Health Education (DNHE), Diploma in Creative Writing in English (DCE)

सर्टिफिकेट प्रोग्राम: Certificate in Food and Nutrition (CFN), Certificate in Nutrition and Childcare (CNCC), Certificate in Guidance (CIG), Certificate in Human Rights (CHR). इस वर्ष दो नये प्रोग्राम BCA तथा MCA शुरु किये गये है।

नोटः इस सत्र में BCA व MCA प्रोग्राम शुरु किया गया।

नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश

नई शिक्षा नीति के अनुरूप सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। गत चार वर्षों से बी०ए० और बी०कॉम० का पाठ्यक्रम उसी के अनुरूप संचालित हो रहा है। आप सब विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in से भी सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरुप कुछ आवश्यक दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं :

क्षेत्र एवं मुख्य विषय :–

1. यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०कॉम तथा एकल विषय परास्नातक तथा एम ए0, एम०एस०सी०, एम०कॉम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

   (ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एस–सी० (माइक्रोबायोलॉजी) इत्यादि तथा एकल विषयक / संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2. (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम सामान पाठ्यक्रम (Minimum Common Sylalbus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। यह आगे भी लागू रहेंगे।

   (ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार–परक (Vocational) प्रशिक्षण–पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

4. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

5. (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता / सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

   (ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

6. विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी०ए०, बी०एस0सी०, बी०कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन / चार वर्ष (प्रथम से छठे / अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष विषय परिवर्तित करता है तो उसे नई शिक्षा नीति के नए नियमों के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

7. चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों मे से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों / छः सेमेस्टर में पूर्ण किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

8. तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें

Pre-requistie के अनुसार यह अर्ह है) परन्तु एक वर्ष की परास्नातक / चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगी। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

9. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरुप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

10. तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

11. सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय / विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स / पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज़, विद्धत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होंगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

12. **माइनर विषयः–**

12.1 छात्र अपने अथवा अन्य संकाय के उपलब्ध विषयों से माइनर विषय का चयन कर सकेंगे।

12.2 माइनर विषय का अध्ययन छात्रों द्वारा केवल विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के साथ किया जायेगा।

12.3 चूंकि उपर्युक्त व्यवस्था में माइनर विषय को छः(06) क्रेडिट आवंटित किये गये है इसलिए छात्र माइनर विषय के रुप में अपने दो मेजर विषयों को छोड़कर महाविद्यालय में संचालित अन्य किसी मेजर विषय का अध्ययन माइनर विषय के रुप में कर सकेंगे। अर्थात अलग से माइनर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसका पठन–पाठन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण स्वरुप – एक ऐसा छात्र जो गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों का चयन मेजर विषयों के रुप में करता हो वह अन्य छात्रों हेतु उसी सेमेस्टर में चलाये जा रहे रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र का अध्ययन माइनर विषय के रुप में कर पायेगा।

12.4 चूंकि इस प्रकार चयनित किया गया माइनर विषय किसी अन्य छात्र का मेजर विषय हो सकता है। इसलिए माइनर एवं मेजर विषय का प्रश्नपत्र एक ही होगा। यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो यह भी माइनर विषय के रुप में अध्ययन करने वाले छात्र को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

12.5 छात्र को दोनो वर्षों मे एक ही विषय का माइनर पेपर लेना अनिवार्य होगा। अर्थात माइनर विषय परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

13. **शोध परियोजना** (Research Project)

13.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा। जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

13.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी, ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी।

13.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रुप से एक शोध परियोजना करनी होगी। जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

13.4 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध / शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

13.5 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात् की गयी शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा।

14. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

14.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

14.2 प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

14.3 क्रेडिट सम्बन्धी समस्त कार्य ''एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'' (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

14.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS का समकक्ष / समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था / इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घंटों की) इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप / एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

14.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, तो नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80(40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

15. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण :–

15.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

15.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

15.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

16. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

16.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन०ई०पी०–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

16.2 मुख्य एवं माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंकों की परीक्षाएँ करायी जायेंगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेस में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेस की परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेस का मूल्यांकन पूर्व की भांति शासनादेश संख्या 1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

17. सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंको के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा। सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिए सतत आतंरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा। असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम–से–कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा। सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी।

नोटः स्नातकोत्तर में आंतरिक मूल्यांकन 100 में से 30 अंकों का होगा।

18. **सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स** (Co-Curricular Courses)

18.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम /कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

18.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेस की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

18.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies) तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

18.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रुप से चलायेंगे। भारतीय भाषा का मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम'' का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा। स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहभागी पाठ्यक्रमों (Co-Curricular) के नियम को निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता हैः

CO-CURRICULAR COURSE (BA, B.Com)

I SEM.	FIRST AID AND BASIC HEALTH (Z02021)
II SEM.	HUMAN VALUES AND ENVRONMENTAL STUDIES (Z030301)
III SEM.	PHYSICAL EDUCATION (Z040401)
IV SEM.	SOCIAL RESPONSIBILITY/LOCAL LANGUAGE

नोटः• क्रमांक 12 पर माइनर विषय से सम्बन्धित नियम को भी महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत तालिका के अनुसार समझ सकते हैं :

MINOR COURSE

B.A. I SEM.	ANY MAJOR SUBJECT FROM SAME STREAM
B.COM. I SEM.	ANY MAJOR SUBJECT FROM SAME STREAM
B.A. II SEM.	NONE
B.COM. II SEM.	NONE
B.A. III SEM.	SAME SUBJECT AS IN Ist SEM.
B.COM. III SEM.	SAME SUBJECT AS IN Ist SEM.
B.A. IV SEM.	NONE
B.COM. IV SEM.	NONE

- महाविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर माइनर विषय निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिए जायेंगे।

Minor 1st Semester	
Major Subject	Minor Subject
M.A. Hindi	M.A. Sociology
M.A. Sociology	M.A. Hindi
M.A. Economics	M.A. Psychology
M.A. Psychology	M.A. Economics
M.A. Pol. Sci.	M.A. History
M.A. History	M.A. Pol. Sci.
M.A. English	M.A. Sociology

19. स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम तीन सेमेस्टर में कौशल–विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

Skill Development Course Flow Chart (B.A., B. Com)
Session :- 2026-27

SEM. I	SEM.II	SEM.III
CERTIFICATE COURSE IN COMPUTER V0001001T(V0001001P)	AI	INFORMATION TECHNOLOGY V0001084T(V0001084P)
YOGA AND CORRECTIVES V0001015T/V0001015P	AI	SKILL DEVELOPMENT IN STRESS MANAGEMENT V0001085T/V0001085P
PRINCIPLES AND PRACTICES OF BANKING V0001003T/V0001003P	AI	FUNDAMENTAL OF LIBRARY SCIENCE V0001095T/V0001095P

20. हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे Value Added and Skill Development Courses का विवरण निम्न प्रकार है ।

Value Added Course

S.No.	Course	No. of Seats
1.	Generative AI and Prompt Engineering*	60
2.	Cloud Computing	30
3.	Digital Marketing & Its Tools	30
4.	Banking Financial Services and Insurance BFSI	30

नोट– विश्वविद्यालय* के पत्रांक संख्या आर.ओ./638/2025–26 दिनांक 2 अप्रैल 2026 के संदर्भ में ARTIFICIAL INTELLIGENCE संबंधित कोर्स सभी विद्यार्थियों को पढ़ना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय द्वारा एन.ई.पी.–2020 से सम्बन्धित समस्त नियम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाईट www.ccsuniversity.ac.in के N.E.P. Portal पर अपलोड किये जा चुके हैं। N.E.P. से सम्बन्धित ग्रेडिंग व्यवस्था, उत्तीर्ण प्रतिशत, कक्षोन्नति, बैक पेपर अथवा सुधार इत्यादि कुछ नियम यहाँ दिए जा रहे हैं।

1. ग्रेडिंग व्यवस्था **तालिका–1 (Table-1)**

सेंटर ग्रेड	विवरण	अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होंगे।

2.4 कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धान्तिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंको में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आंतरिक परीक्षाएँ सम्पन्न न ह ी करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स /पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रैनिंग एवं सैद्धान्तिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

2.5 सभी विषयों के मुख्य / माइनर / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जाएगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स / पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम / लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आंतरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिए जाएंगे।

2.10 यदि छात्र / छात्रा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में कुल मिलाकर 23 तथा मुख्य विषयों में 18 क्रेडिट के पेपर उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे अगले वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा तथा उसके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम में Promoted अंकित किया जाएगा।

2.11 यदि कोई छात्र / छात्रा मेजर / माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (बाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में बाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जाएगा।

2.12 यदि कोई छात्र / छात्रा मेजर / माइनर विषयों की बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जाएगा।

2.13 (अ) यदि कोई छात्र / छात्रा प्रथम / तृतीय / पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में किसी एक पेपर में भी अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित / यू.एफ.एम. है तो उसके परीक्षा परिणाम में Fail But Promoted एवं यदि सभी पेपर्स में उत्तीर्ण है तो Pass &Promoted अंकित किया जाएगा।

(ब) द्वितीय / चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षोपरान्त विद्यार्थी अगले वर्ष में विश्वविद्यालय नियम अनुसार Promote किया जाएगा तथा तदनुसार उसकी उसकी उसकी ग्रेडशीट में Promoted अथवा Not Promoted अंकित किया जाएगा।

3. **कक्षान्नोति** (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात् वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जाएगी–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएँगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 40 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य / माइनर / स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैंक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएँ एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षाकाल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

4.5 कोई छात्र–छात्रा एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.6 कोई छात्र–छात्रा एक सेमेस्टर में से एक साथ दो से अधिक को–करिकुलर कोर्स की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

4.7 सी.बी.एस.ई. प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

4.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिटस के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रुप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। उदाहरणार्थ– तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।

4.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, को बैक पेपर के रुप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अवधि एक वर्ष होगी।

व्याख्या :– (Explanation) यदि विद्यार्थी निरन्तरता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरु करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जाएगी :–

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) = Σ(Ci x Gi)/ΣCi	यहाँ पर Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = Σ(Cj x Sj)/ΣCj	यहाँ पर Sj = SGPA of the jth semester. Cj = total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थी को निम्नवत् सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी।

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA & CGPA की गणना छात्र–छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गए पेपर्स के कुल ग्रेड वेल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

स्नातक स्तरीय कक्षाओं का पाठ्यक्रम

एन०ई०पी० 2020 के अन्तर्गत कला संकाय में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर उपलब्ध विषयों के पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं:

HINDI

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Hindi Kavya	A010101T
II SEMESTER		
II (Th)	Karyalyi Hindi and Computer	A010201T
III SEMESTER		
III (Th)	Hindi Gadhya	A010301T
IV SEMESTER		
IV (Th)	Hindi Anuwad	A010401T
V SEMESTER		
V (Th)	Sahityashastra and Hindi Aalochana	A010501T
V (Th)	Hindi Ka Rastriya Kavya	A010502T
VI SEMESTER		
VI (Th)	Bhasha Vigyan, Hindi Bhasha and Devnagri Lipi	A010601T
VI (Th)	Loak Sahitya and Loak Sanskriti	A010602T

ENGLISH

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	English Prose and writing Skills	A040101T
II SEMESTER		
II (Th)	English Poetry	A040201T
III SEMESTER		
III (Th)	British and American Drama	A040301T
IV SEMESTER		
IV (Th)	Indian Literature in Translation	A040401T
V SEMESTER		
V (Th)	Classical Literature & History of English Literature	A040501T
V (Th)	Fiction	A040502T
VI SEMESTER		
VI (Th)	Indian & New Literatures in English	A040601T
	Any one of the following	
VI (Th)	Literatures in Films & Media Studies	A040602T
VI (Th)	Media and Journalistic Writing	A040603T

POLITICAL SCIENCE

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Indian National Movement & Constitution of India	A060101T
I (Pr)	Awareness of Rights & Law	A060102T
II SEMESTER		
II (Th)	Political Theory & Concepts	A060201T
III SEMESTER		
III (Th)	Political Process in India	A060301T
III (Pr)	Field Work Traditional in Social Science	A060302T
IV SEMESTER		
IV (Th)	Western Political Thought	A060401T
V SEMESTER		
V (Th)	Comparative Government & Politics (UK,USA,Switzerland & Vietnam)	A060501T
V (Th)	Principles of Public Administration	A060502T
V (Pr)	Public Policy Formulation and Administration in India	A060503P
V (Pr)	Project 1	A060504R
VI SEMESTER		
VI (Th)	Indian Political Thought	A060601T
VI (Th)	International Relations & Politics	A060602T
VI (Pr)	Project 2	A060603R

SOCIOLOGY

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Introduction to Basic Concept of sociology	A070101T
	or	
I (Th)	Concepts of Rural Sociology	A070102T
I (Pr)	Writing Skill Development on observation based on topic rural society	A070103T
II SEMESTER		
II (Th)	Political Sociology	A070203T
II (Th)	Society in India: Structure, Organization & Change	A070201T
II (Pr)	Writing Skill Development on topics of Contemporary Sociological Importance	A070202P
III SEMESTER		
III (Th)	Social Change & Social Movements	A070301T
III (Th)	Population and society	A070302T
III (Pr)	Projects on Communication Skills(Practical)	A070303P
IV SEMESTER		
IV (Th)	Participatory Management in Community Development	A070403T
IV (Th)	Social Problems & Issues of Development in India	A070401T
IV (Pr)	Projects on Sustainable Society	A070402R
V SEMESTER		
V (Th)	Classical Sociological Thought	A070501T
V (Th)	Research Methodology in Social Sciences	A070502T
V (Pr)	Practical Application of Research Methodology/Project Work	A070503P
VI SEMESTER		
VI (Th)	Pioneers of Indian Sociology	A070601T
VI (Th)	Gender and Society	A070602T
VI (Pr)	Field work/Class Study/Project Work	A070603R

ECONOMICS

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Principles of Micro Economics	A080101T
II SEMESTER		
II (Th)	Principles of Macro Economics	A080201T
III SEMESTER		
III (Th)	History of Economics Thought	A080301T
IV SEMESTER		
IV (Th)	Money, Banking and Public Finance	A080401T
V SEMESTER		
V (Th)	Economic Growth and Development Optional Paper (Any one)	A080501T
V (Th)	Environmental Economics or International Economics	A080502T/A080503T
V (Pr)	Elementary Statistics based Project	A080504R
VI SEMESTER		
VI (Th)	Indian Economy & Economy of Uttar Pradesh Optional Paper (Any one)	A080601T
VI (Th)	Agriculture Economics or Elementary Mathematics	A080602T/A080603T
VI (Pr)	Dissertation/Project on the Local issues with Economic Focus plus Presentation on Ppt of the Dissertation	A080604R

PSYCHOLOGY

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Basic Psychological Processes	A090101T
I (Pr)	Lab Work	A090102P
II SEMESTER		
II (Th)	Basic Research Methodology and statistics	A090201T
II (Pr)	Lab Work/Psychological Testing	A090202P
III SEMESTER		
III (Th)	Psychology of Social Behaviour	A090301T
III (Pr)	Lab Work and Measurement of Social Behaviour	A090302P
IV SEMESTER		
IV (Th)	Abnormal Psychology	A090401T
IV (Pr)	Assessment/Testing	A090402P
V SEMESTER		
V (Th)	Life Span Human Development	A090501T
V (Th)	Positive Psychology	A090502T
V (Pr)	Lab work/Survey/Field Visit	A090503P
V (Pr)	Internship/Research Proposal	A090504R
	Community & Health Psychology	A090601T
VI (Th)	Counselling & Health Psychology	A090602T
	Survey/Field Visit /Project work	A090603P
VI (Pr)	Internship/Research Project	A090604R

GEOGRAPHY

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Physical Geography	A110101T
I (Pr)	Elements of Map and Surveying	A110102P
II SEMESTER		
II (Th)	Human Geography	A110201T
II (Pr)	Thermatic Mapping and Surveying	A110202P
III SEMESTER		
III (Th)	Environment, Disaster Management & Climate Change	A110301T
III (Pr)	Statistical Techniques and Surveying	A110302P
IV SEMESTER		
IV (Th)	Economic Geography	A110401T
IV (Pr)	Weather Maps, Geological Maps & Surveying	A110402P
V SEMESTER		
V (Th)	Regional Geography	A110501T
V (Th)	Basic of Remote Sensing and GIS	A110502T
V (Pr)	Tour & Tour Report	A110503P
V (Pr)	Project Report-1	A110504R
VI SEMESTER		
VI (Th)	Geography of India	A110601T
VI (Th)	Evolution of Geographical Thoughts	A110602T
VI (Pr)	Remote Sensing and GIS	A110603P
VI (Pr)	Project Report-2	A110604R

HISTORY

S.No.	PAPERS	CODE
I SEMESTER		
I (Th)	Ancient and Early Medival India(Till 1206 A.D.)	A050101T
II SEMESTER		
II (Th)	History of Medival India(1206A.D. - 1757 A.D.)	A050201T
III SEMESTER		
III (Th)	History of Modern India(1757A.D. - 1950 A.D.)	A050301T
IV SEMESTER		
IV (Th)	History of Modern World(1453A.D. - 1815 A.D.)	A050401T
V SEMESTER		
V (Th)	Nationalism in India Optional Any One	A050501T
V (Th)	History of Modern World(1815A.D. - 1950A.D.)	A050502T
V (Th)	Socio-Cultural and Economics History of Medival India (1200A.D. - 1700A.D.)	A050503T
V (Th)	Ethics in History	A050504T
V (Pr)	Project 1	A050501R
VI SEMESTER		
VI (Th)	Era of Gandhi and Mass Movement Optional Any One	A050601T
VI (Th)	History of Modern World(1818A.D. - 1945A.D.)	A050602T
VI (Th)	Socio-Cultural and Economics History of Modern India (1700A.D. - 1900A.D.)	A050603T
VI (Th)	History and its Professional Utility	A050604T
VI (Pr)	Project 2	A050601R

वाणिज्य संकाय में महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं :–

B. Com. (NEP)

S.No.	SUBJECT	CODE
I SEMESTER		
1.	Business Organization	C010101T
2.	Business Statistics	C010102T
3.	Business Communication (Minor)	C010103T
II SEMESTER		
1.	Business Management	C010201T
2.(a)	Financial Accounting	C010202T
(b)	Computerized Accounting	C010203P
3.	Business Economics	C010205T
III SEMESTER		
1.	Company Law	C010301T
2.	Corporate Accounting	C010302T
3.	Business Regulatory Framework	C010303T
IV SEMESTER		
1. (a)	Income Tax Law & Accounts	C010401T
(b)	Fundamentals of Marketing	C010402T
3. (a)	Digital Marketing	C010403P
(b)	Fundamentals of Entrepreneurship	C010404T
V SEMESTER		
1.	Corporate Accounting	C010501T
2.	Goods and Service Tax	C010502T
3.(a)	Business Finance	C010503T
(b)	Monetary Theory & Banking in India	C010505T
VI SEMESTER		
1.	Accounting for Managers	C010601T
2.	Auditing	C010602T
3.	Viva	C010603R
4.	Financial Institutions and Market	C010604T

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रत्येक प्रवेशार्थी कॉलेज विवरणिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज कार्यालय से प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराके बैंक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय में प्रवेश हेतु कॉलेज विवरणिका में उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर एवं समस्त प्रमाण–पत्र (मूल प्रमाण–पत्रों) सहित कॉलेज में सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित हों। बी.ए. एवं बी.कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रवेशार्थी को निम्न प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रवेश फार्म के साथ क्रमानुसार संलग्न करना आवश्यक है ।
   (क) हाई स्कूल अंक तालिका
   (ख) इन्टरमीडिएट अंक तालिका
   (ग) चरित्र प्रमाण–पत्र
   (घ) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.)
   (ड.) जाति प्रमाण–पत्र (सामान्य वर्ग के अतिरिक्त)
   (च) आय प्रमाण–पत्र (जो छात्र, छात्रवृत्ति के लिए अर्ह है)
   (छ) मूल निवास प्रमाण–पत्र (उ.प्र. राज्य के वे छात्र जिन्होंने इन्टरमीडिएट / स्नातक की परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण की है।)
   (ज) अधिभार हेतु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र
   (झ) आधार कार्ड
   (ञ) शपथ पत्र (गैप की स्थिति में)

   विशेष नोट :

   स्नातकोत्तर कक्षाओं (प्रथम सत्र) में प्रवेश हेतु इच्छुक प्रवेशार्थी द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त स्नातक की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंक तालिका की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रवेश फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
2. प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूचना महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी।
3. प्रवेश की घोषित निर्धारित तिथियों तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेशार्थी का प्रवेशाधिकार समाप्त हो जायेगा।
4. स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में विषय परिवर्तन और सैक्शन परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व प्रवेश प्रोविजनल (प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन) होगा। शासन द्वारा गठित स्क्रूटनी कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेश बिना कोई पूर्व सूचना के रदद् कर दिया जायेगा तथा संबंधित विद्यार्थी या उसके माता–पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।
6. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण–पत्र नवीनतम शासनादेश संख्या के अनुरूप संलग्न करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।
7. प्रवेशार्थी की अभ्यर्थता संकाय / विषय के सन्दर्भ में अहस्तांतरित (Non transferable) है।
8. यदि किसी अभ्यर्थी का परीक्षाफल प्रवेश तिथि से पूर्व घोषित हो गया है तथा वह पूरक परीक्षा या रोके गये परीक्षाफल की श्रेणी में है तो वह प्रवेश के लिये अर्ह नहीं है। वह किसी भी दशा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।
9. प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाणपत्र संलग्न न करें।

कॉलेज में उपलब्ध सुविधाएँ/पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

पुस्तकालय की सुविधा

महाविद्यालय के विद्यार्थी पुस्तकालय सदस्यता फार्म अपनी प्रवेश शुल्क रसीद को प्रस्तुत कर पुस्तकालय से प्राप्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् सभी प्रविष्टियों को भरकर प्रवेश शुल्क रसीद के साथ पुस्तकालय काउण्टर पर जमा करना होगा। पुस्तकालय कार्ड कॉलेज परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर निर्गत किया जायेगा। पुस्तक समय से वापिस न करने पर पुस्तक विलम्ब शुल्क देय होगा। महाविद्यालय में वाचनालय की भी व्यवस्था है, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र तथा विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पत्रिकाएँ उपलब्ध रहती हैं।

यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ने के उपरान्त तीन वर्ष तक अपने पुस्तकालय की कॉशन मनी वापस लेने को आवेदन–पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्ययगत (लैप्स) हो जाएगी।

प्रयोगशालाएँ

कॉलेज में भूगोल एवं मनोविज्ञान विषयों की आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं। गत सत्र से महाविद्यालय में दो कम्प्यूटर लैब भी प्रारम्भ की गई हैं।

चिकित्सा सुविधा

कॉलेज में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। देख–रेख के लिए एक अनुभवी चिकित्सक डॉ० अरुण कुमार की सेवाएँ उपलब्ध हैं।

छात्रवृत्ति की सुविधा

1. चार वर्गों (Gen, SC, OBC, Mino) में उत्तर प्रदेश में छात्रों को उनके पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 200000 (दो लाख रुपये) तक पर ही छात्रवृत्ति मिलती है। यह छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार वितरित की जाती है।
2. दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाती है।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के कारण सजा पाई हो, पर आश्रित विद्यार्थी को शासन द्वारा छात्रवृत्ति देय है।
4. शासन द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति देय है।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

अध्ययनेत्तर गुणों का विकास करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाते है जिससे वे बौद्धिक विकास के साथ–साथ शारीरिक, सामाजिक, नैतिक विकास भी कर सकें।

शारीरिक शिक्षा एवं खेल

महाविद्यालय की क्रीड़ा समिति विभिन्न खेलों कार्यों का संचालन करती है। महाविद्यालय में लगभग सभी लोकप्रिय खेलों के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के कक्षीय एवं मैदानी खेलों की व्यवस्था है, जिसमें एथलेटिक्स के साथ–साथ खो–खो, कबड्डी, कुश्ती, बास्केट बॉल, हैण्ड बॉल आदि प्रमुख हैं। क्रीड़ा की समुचित व्यवस्था योग्य एवं अनुभवी शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता की देखभाल में की जा रही है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)

कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयाँ (छात्र–छात्रा) काम कर रही हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य छात्रों में शारीरिक श्रम के महत्त्व के प्रति जागरुकता उत्पन्न कर भारतीय ग्रामीण समुदायों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करना है। राजकीय निर्देशों के अनुसार इस योजना में केवल स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र ही भाग ले सकते थे परन्तु गत दो वर्षों से उन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को भी पंजीकरण की छूट दी गई है, जो किसी कारणवश स्नातक स्तर पर एन०एस०एस० नहीं ले सके। इसमें सामान्य गतिविधि कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष में 120 घंटे समाज सेवा करनी होती है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में एक विशेष समाज सेवा शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके आधार पर बी०एड०, एल०एल०बी० आदि में प्रवेश के समय अतिरिक्त वेटेज अंक दिये जाते हैं। उल्लेखनीय सेवा करने वाले स्वयंसेवक छात्रों को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाता है ।

नेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०)

सभी छात्रों के लिए इन्फेन्ट्री में एन०सी०सी० प्रशिक्षण की सुविधा कॉलेज में उपलब्ध है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को दो वर्ष तक एन०सी०सी० में रहना पड़ता है। परन्तु ऑफिसर कमांडिंग चार वर्ष तक ट्रेनिंग दे सकते हैं। एन०सी०सी० में प्रवेश लेने वाले छात्रों को न्यूनतम 75 प्रतिशत परेडों में उपस्थित होना आवश्यक है तथा दो वर्षों में प्रशिक्षण कार्य में 12 दिन के एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रायः सप्ताह में दो दिन परेड होती है। एन०सी०सी० में छात्रों द्वारा प्रदर्शित स्तर का उल्लेख उसको संस्था छोड़ते समय जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र में किया जायेगा। केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कैडेट्स के लिए विशेष प्रावधान है, जिनका लाभ सैन्य सेवा क्षेत्र में मिलता है।

छात्र कल्याण परिषद्

श्रेष्ठ छात्रों को शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, बर्सरी, पुस्तक, अनुदान आदि के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कॉलेज में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पदक प्रदान किया जाते हैं और पुरस्कार भी दिये जाते हैं। छात्रों के हितों के अनुरक्षण के लिए छात्र कल्याण परिषद् पूरे शैक्षिक सत्र कार्यरत रहती है।

सांस्कृतिक परिषद्

महाविद्यालय में शिक्षणेत्तर गतिविधियों में छात्रों की रुचि जाग्रत करने व उनके अन्दर छिपी प्रतिभाओं के समुचित विकास के लिए महाविद्यालय में एक सांस्कृतिक परिषद् का भी गठन किया गया है। यह परिषद् वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला वाद–विवाद, कविता, कहानी, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता आयोजित करती रहती है। इसमें कोई भी छात्र–छात्रा भाग ले सकती/सकता है। अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से उक्त प्रतियोगिता के लिए आये आमंत्रण पर परिषद प्रतिभावान छात्रों का चयन कर उन्हें इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करती है। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में ऐसे स्थान प्राप्त छात्र–छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी दिये जाते हैं।

शिक्षण में कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्रों को कॉलेज की ओर से प्रतिवर्ष पुरस्कृत कर, उनका उत्साहवर्द्धन किया जाता है। समाज के साथ युवाओं को जोड़ते हुए महाविद्यालय में समसामयिक ज्वलन्त विषयों पर छात्र–छात्राओं की विचार प्रस्तुति हेतु महाविद्यालय तथा अर्न्तमहाविद्यालय स्तर पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है ताकि विद्यार्थियों की स्वतन्त्र सोच विकसित हो सके।

योग शिविर

स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह शरीर के समस्त अंगो को चुस्त और दुरुस्त रखता है। योग से हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ एवं स्थिर रहता है और विद्यार्थी जीवन में मन मस्तिष्क का स्थिर होना अति आवश्यक है, जिससे ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर महाविद्यालय में समय–समय पर एक दिवसीय, चार दिवसीय, सात दिवसीय योग शिविर लगाये जाते हैं, ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें और शिक्षण के साथ–साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकें।

रोजगार सूचना एवं परामर्श परिषद्

छात्र–छात्राओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने तथा प्लेसमेंट कराने के उद्देश्य से महाविद्यालय में कैरियर काउंसिल (रोजगार एवं परामर्श परिषद्) उपलब्ध है। इसमें रोजगार सम्बन्धी पत्र–पत्रिकाओं के अतिरिक्त शासकीय विभागों से प्राप्त सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। समय–समय पर रोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी परामर्श शिविरों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर स्थित स्तरीय व्यावसायिक संस्थानों से सम्पर्क कर छात्र–छात्राओं के प्लेसमेंट का प्रयास किया जाता है।

अनुशासन परिषद्

कॉलेज तथा कॉलेज के बाहर छात्रों का सामान्यतः कल्याण करने, छात्रों को संस्था के प्रशासन में सहयोग प्रदान करने, संस्था के सामान्य जीवन में अनुशासित रुप से भाग लेने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कॉलेज में एक अनुशासन परिषद् है जिसमें एक मुख्य नियन्ता, नियन्ता तथा कुछ सीनियर शिक्षक होते हैं।

TOUR & EXCURSION ACTIVITIES

विद्यार्थियों में देश के विभिन्न भागों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों को जानने व राष्ट्रीय एकीकरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से समय–समय पर विभिन्न टूर एण्ड एक्सकर्सन क्रियाकलाप आयोजित किये जाते हैं।

संकाय सदस्य (Faculty Members)

प्रो0 रोचना मित्तल- प्राचार्या

समाजशास्त्र विभाग

1. प्रो० प्रवीण कुमार, प्रभारी
2. प्रो० रीना शर्मा (प्रोफेसर)

अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो० अखिलेश मिश्र (डेपोटेशन)
2. प्रो. शिल्पी जिन्दल (प्रोफेसर), प्रभारी
3. डॉ० प्रियंका सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर)

अंग्रेजी विभाग

1. प्रो० मिति पाण्डे (प्रोफेसर), प्रभारी
2. प्रो० बिन्दु कर्णवाल (प्रोफेसर)
3. श्री गौतम बंसल (असिस्टेंट प्रोफेसर)

हिन्दी विभाग

1. प्रो० गीता पाण्डे (प्रोफेसर), प्रभारी
2. राज नारायण शुक्ल (प्रोफेसर)
   (अवकाश पर)
3. प्रो० उर्विजा शर्मा (प्रोफेसर)
4. प्रो० नीलम गर्ग (प्रोफेसर)
5. डॉ० पूनम सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)

इतिहास विभाग

1. प्रो० भूकन सिंह (प्रोफेसर), प्रभारी
2. प्रो० अनिल कुमार
3. श्री अमित कुमार गौतम (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. डॉ० शैलेन्द्र चौहान

मनोविज्ञान विभाग

1. प्रो० अनिल कुमार लाल (प्रोफेसर), प्रभारी
2. प्रो० वन्दना शर्मा (प्रोफेसर)

भूगोल विभाग

1. डॉ० रश्मि गोयल (एसोसिएट प्रोफेसर), प्रभारी
2. श्रीमती प्रियंका गंगवार (असिस्टेंट प्रोफेसर)

पुस्तकालय विभाग

1. डॉ० विनोद कुमार वर्मा

राजनीतिशास्त्र विभाग

1. श्री साकेत सिशौदिया (एसोसिएट प्रोफेसर), प्रभारी
2. प्रो० जय कुमार सरोहा (प्रोफेसर)
3. प्रो० अजय कुमार उपाध्याय (प्रोफेसर)

स्ववित्त–पोषित योजना

संकाय सदस्य (Faculty Members)

डॉ० एन०के० गर्ग (प्रभारी) *स्ववित्त–पोषित संकाय*

वाणिज्य विभाग

1. डॉ0 शैलेन्द्र कुमार
2. डॉ0 सुमन शर्मा
3. डॉ0 अदिति गर्ग
4. डॉ0 छाया त्यागी
5. श्रीमती दीप्ति कपूर

शिक्षा विभाग

1. डॉ0 अनुराधा अग्रवाल
2. डॉ० निहारिका गर्ग
3. डॉ० गरिमा बंसल
4. श्रीमती नविता शर्मा
5. कु० रीतेश चौधरी
6. डॉ० शुभा शर्मा

तृतीय श्रेणी

1. श्री सतीश कुमार	वरिष्ठ सहायक
2. श्री राजकुमार यादव	आशुलिपिक
3. श्री प्रीतम सिंह	कार्यालय सहायक
4. श्री प्रमोद कुमार	प्रयोगशाला सहायक, मनो० विज्ञान
5. श्री राजीव कुमार गुप्ता	कैटलॉगर
6. श्री अमित कुमार त्यागी	पुस्तकालय लिपिक
7. श्री राकेश कुमार	पुस्तकालय लिपिक
8. श्री रमेश चन्द	कार्यालय सहायक
9. श्री आकाश	सहायक लेखाकार
10. श्री आशु	कार्यालय सहायक
11. श्री नितेश शर्मा	कार्यालय सहायक
12. श्री पंकज कुमार	प्रयोगशाला सहायक, भूगोल

चतुर्थ श्रेणी

1. श्री मोहन सिंह
2. श्री राजकुमार
3. श्री मनोज कुमार
4. श्री सुखपाल
5. श्री फूलचंद
6. श्री भागीरथ सिंह
7. श्री उमेश कुमार
8. श्रीमती मुनिया

गैर शिक्षक कर्मचारी
स्ववित्त–पोषित योजना

तृतीय श्रेणी

श्री राहुल अग्रवाल	सहायक लेखाकर
श्री प्रमोद कुमार	पुस्तकालय लिपिक
श्री सुरेन्द्र कुमार	कार्यालय सहायक
श्रीमती **शशि चौहान**	पुस्तकालय सहायक
श्रीमती दीप्ति रानी	पुस्तकालय सहायक

चतुर्थ श्रेणी

श्री धर्मवीर सैनी	श्री मोनू कुमार
श्री सुरेश कुमार	श्री सुन्दर लाल
श्री अमित कुमार	श्री बाल मुकुन्द तिवारी
श्री उमेश कुमार	श्री राहुल कुमार
श्री बबलू सिंह	श्री विकास
श्री मनीष सिंह	श्री दीपक

Committees, Cells, Association Convenors

Prof. Rochna Mittal, Principal

Proctorial Board

Prof. Anil Kumar Lal (Chief Proctor)
Prof. Jai Kumar Saroha
Prof. Praveen Kumar
Dr. Poonam Singh
Dr. Vinod Kumar Verma
Dr. N.K. Garg
Sh. Amit Kumar Gautam

Dean of Student Welfare (DSW)

Prof. Geeta Pandey

Library Committee

Prof. Geeta Pandey (Hindi)
Prof. Meeti Pandey (English
Prof. Anil Kumar Lal (Psychology)
Prof. Praveen Kumar (Sociology)
Prof. Bhukan Singh (History)
Dr. Rashmi Goyal (Geography)
Shri Saket Sishodiya (Pol. Science)
Prof. Shilpi Jindal (Economics)
Dr. N.K. Garg (Self- Finance)
Dr. Vinod Kumar Verma (Library & E-Library Incharge)

COMMITTEES 2026-27

1. SC/ST/OBC Welfare Committee	Prof. Anil Kumar Lal
2. Student Grievance Committee	Prof. Geeta Pandey
3. NEP & Skill Development Committee	Prof. Urvija Sharma
4. Research Development Committee	Prof. Jai Kumar Saroha
5. Cultural Committee	Dr. Poonam Singh
6. N.C.C.	Sh. Amit Kumar Gautam
7. N.S.S.	Dr. Poonam Singh, Dr. Shailendra Chauhan
8. Sports Committee	Prof. Praveen Kumar
9. Lecture Series & Seminar Awareness Committee	Dr. Poonam Singh
10. E-Official Letter Committee	Prof. Vandana Sharma
11. Electricity/Drinking Water/Cycle Stand & D.G. Power Committee	Dr. Vinod Kumar Verma
12. NIRF Committee	Prof. Vandana Sharma
13. Accounts Monitoring Committee	Prof. Jai kumar Saroha
14. Institutional Development Committee	Prof.Bhukan Singh
15. Mentor-Mentee Committee	Prof. Neelam Garg
16. ATR Committee	Dr. Poonam Singh
17. AI Committee	Sh. Saket Sishodiya
18. JRF Committee	Prof. Vandana Sharma
19. SC/ST Scholarship Committee	Prof. Neelam Garg
20. Meditation & Yoga Committee	Dr. Chhaaya Tyagi
21. NAAC Committee	Prof. Shilpy Jindal
22. Environment Committee	Dr. Rashmi Goel
23. Competitive Exams Committee	Sh. Shailendra Chauhan
24. Cyber Security Committee	Dr. Aditi Garg
25. Remedial Class Conducting Committee	Sh. Gautam Bansal
26. First Aid Committee	Dr. Chhaya Tyagi
27. Parent-Teacher Committee	Prof. Geeta Pandey
28. Vocational Course Conducting Committee	Dr. Aditi Garg
29. Teachers Training Committee	Prof. Ajay Kumar Upadhyay
30. College Magazine Committee	Dr. Poonam Singh

31. Prospectus Committee	Dr. Poonam Singh, Dr. Aditi Garg
32. Public Information/Court Dispute Committee	Dr. Vinod Kumar Verma
33. Media Handling Committee	Dr. S.K. Aggarwal
34. College Social Media Account Committee	Dr. Suman Sharma
35. Building Security / Construction Committee	Prof. Jai Kumar Saroha
36. Salary & Arrear Determination Committee	Sh. Shailendra Chauhan
36. Pension, GPF & NPS Committee	Prof. Bhukan Singh
37. Income Tax Checking Committee	Dr. S.K. Aggarwal
38. Fees Deciding Committee	Prof. Praveen Kumar
39. Computer Lab Maintenance Committee	Dr. Niharika Garg
40. E-Wi-Fi Learning Committee	Sh. Gautam Bansal
41. Road Safety Committee	Sh. Amit Kumar Gautam
42. Financial Audit Committee	Prof. Anil Kumar Lal
43. Mission Shakti Committee	Dr. Anuradha Aggarwal
44. Solar Energy Development Committee	Dr. N.K. Garg
45. Intellectual Property/Patient Committee	Dr. Priyanka Singh
46. Internal Complaints Committee	Mrs. Navita Sharma
47. MOU Review Committee	Prof. Ajay Upadhyay
48. Social Welfare Committee	Prof. Praveen Kumar
49. Leave & Academic Calendar	Dr. N.K. Garg

Association, Council Cells & Clubs 2026-27

1. Alumni Association	Mrs. Priyanka Gangwar
2. AISHE Council	Prof. Reena Sharma
3. Academic Bank Credit Council	Prof. Urvija Sharma
4. International Student Welfare Desk	Sh. Amit Kumar Gautam
5. Shodh Vimansa Munch	Prof. Jai Kumar Saroha
6. Internet Quality Assurance Cell (IQAC)	Prof. Shilpy Jindal
7. Activity Club	Dr. Poonam Singh
8. Literary Club	Prof. Bindu Karnwal
9. Environmental Club	Dr. Rashmi Goel
10. Multi Lingual Club	Prof. Bindu Karnwal
11. Psychological Counselling cell	Prof. Anil Kumar
12. Woman Grievance Cell	Prof. Miti Pandey
13. Anti-Ragging cell	Prof. Jai Kumar Saroha
14. Planning Promotion Awareness Cell	Prof. Anil Kumar Chauhan
15. Handicapped Assistance and Disadvataged Group Assistance Cell	Prof. Bindu Karnawal
16. Placement Cell	Dr. Priyanka Singh
17. Internal Examination Cell	Dr. S.K. Aggarwal
18. Career Counselling & Employment Cell	Mrs. Deepti Kapoor
19. Indian Language Culture and Arts Cell	Prof. Geeta Pandey
20. Teachers Training Cell	Prof. Ajay Kumar Upadhyay
21. National Green Campus Eco Club	Mrs. Priyanka Gangwar

All Portals 2026-27

1. Samarth Portal,	2. Saksham Portal,	3. Swayam Portal,
4. Manav Sampada Portal	5. Praman Portal	6. Purchasing & Gem Portal

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

सत्र-2026-27

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए प्रवेश नियम

प्रवेश परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा/यू०पी०एस०ई०ई०/एन०ई०ई०टी० के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

बिना प्रवेश परीक्षा के योग्यता सूची से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेंगे।

अल्पसंख्यक अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश https://ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

10% आरक्षण EWS के लिए लागू होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्यक्रम की प्रक्रिया का पालन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के https://ccsuniversity.ac.in पर ऑनलाइन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर किये जायेंगे, लिंग (महिला महाविद्यालयों के अतिरिक्त) जाति, पंथ एवं धर्म के आधार पर नहीं। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत)/श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता एक प्रतिशत, अंग भंग 1 प्रतिशत हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों का आश्रित 2 प्रतिशत और सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों को क्रमशः एक प्रतिशत, दो प्रतिशत और एक प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों को क्रमशः एक प्रतिशत, दो प्रतिशत और एक प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। **10 प्रतिशत आरक्षण ई०डब्ल्यू०एस० के लिए लागू होगा। (EWS)**

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यताक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यताक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की

जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (Link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ) (i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का www.ccsuniversity.ac.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का ई मेल होना आवश्यक है तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान का चयन करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु प्रवेश पंजीकरण में अधिकतम तीन पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान का चयन कर सकता है। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पक्ष का भली–भांति अवलोकन कर पंजीकरण फार्म को ऑनलाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या अभ्यर्थी के दिए गये ई–मेल पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं निश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कोई त्रुटि तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) **शैक्षणिक सत्र 2026–27 में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी केन्द्रीयकृत वरीयता सूची तैयार नहीं की जाएगी। अतः शैक्षणिक सत्र 2026–27 में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बन्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता सूचियाँ (Merits) एवं प्रतीक्षा सूचियाँ संबंधित परिसर विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा ही तैयार की जायेंगी।**

(ड.) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सैक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्टि करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

नोट

यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भांति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश हेतु आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम

अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 25 प्रतिशत तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों से कम न हो। कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जाएगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2026–27 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से 1 माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होंगे।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों की अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) Inter-College अथवा Inter-University Transfer केवल उन्हीं छात्रों हेतु अनुमत होगा जो पूर्व के वर्ष/वर्षों में पूर्ण रुप से उत्तीर्ण हों।

(v) उक्त Transfer केवल प्रत्येक सत्र में 31 अगस्त तक सम्भव होगा। इसके पश्चात् किसी भी Transfer पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vi) अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(vii) स्ववित्तपोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हों (जैसे सी.बी.एस.ई. आई.सी.एस.ई. आदि) किन्तु उनके योग्यता प्राप्तांक उ०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।

(झ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा अन्तराल के वर्ष में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती अधिकतम 8 प्रतिशत की जायेगी।

(ञ) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम०ए० की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम०ए० में दो वर्ष का

अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम०ए० प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम०ए० करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) वे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) वो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। उनकी हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षाएँ मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड तथा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

विशेष नोट

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniveristy.ac.in पर उपलब्ध है।
2. विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। वैबसाईट पर उपलब्ध अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सैक्शन में स्नातक पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किये जायेंगे । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सैक्शन सीट संख्या प्रति विषय प्रति उपलब्ध मान्य शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, मान्य कुलपति जी द्वारा स्वीकृत होने पर इन निर्धारित सीटों पर ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं तब उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेश के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छरित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।
4. ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2 (166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या – 1678/सत्तर–2–2006 – 2 (166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या – 1870/सत्तर – 2– 2000– 2 (166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या – 421/सत्तर –1–2015–16 (20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जाएंगे।''
5. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, यदि उसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा ।

Note : In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have ` passed Intermediate Examination with five subjects.

6. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश

नहीं दिया जायेगा । उसे वह परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी (Ex-Students) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे :–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक / परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय / सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों / कर्मचारियों के (पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति के लिए)

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्नातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (I) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने NCC का 'C' या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने NCC का 'B' या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ–साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7 / 10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा / डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7 / 10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर / रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा।

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने / निपुण शिक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान / गुरुपद / प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान / ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ।

8. 5 प्रतिशत स्पोर्टस कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी०ओ०न०एफ० 14– 3/85 (सी0पी0), दिनांक 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमवार (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलंपिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण–पत्र धारक हो।

नोट :–

(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8 प्रतिशत तक का ही अधिभार देय होगा, लेकिन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/ पति को अधिकतम 12 प्रतिशत तक अभिभार दिया जा सकता है।

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी से प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रय के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसको जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान न कर दिया जाये । विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

10. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10 + 2 + 3 या 11 + 1 + 3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10 + 2 या 11 + 1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में परीक्षा दे सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल0एल0बी0 के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के आधीन होगा।

11. एम० ए० (समस्त विषय) में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे :–

(i) महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम0ए0 में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0ए0 में ऊपर बताये गये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम–से–कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस०सी०/एस०टी० के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर II पर दिये गये विषयों से अलग एम०ए० के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं है एवं एम०एस०सी० (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iv) एम०ए० के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(v) एम०ए० (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/ बी०सी०ए०/ बी०ए० (गणित) /बी०एस०सी०

(गणित) / बी०काम0 अथवा 10 + 2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी०ए० (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम०ए० (समाजशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/ बी०एससी० उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी०ए० (समाजशास्त्र) के अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vii) एम०ए० गैर प्रायोगिक विषय में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

12. (i) बी०कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10 + 2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी०कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा।

(ii) बी०ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(iii) **शैक्षणिक सत्र 2024–25 तक विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में मेरिट में लिखित विषयों के दो तिहाई प्रतिशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जाते थे। शैक्षणिक सत्र 2025–26 से उक्त बाध्यता खत्म की जाती है अतः शैक्षणिक सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में मेरिट हेतु इन अभ्यर्थियों के परीक्षा फल में उल्लेखित प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़ा जायेगा।**

13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्या/प्राचार्य/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश को महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मंडल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा और उसके प्रवेश हो जाने पर बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be

given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी०एड०, एम०एड०, एल०एल०बी० एल०एल०एम० के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

14. बी०एड० और एम०एड० की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी०एड०, एम०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

15. एक अभ्यर्थी जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. एक अभ्यर्थी जो कोई ओरियेन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

17. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

18. ऐसा अभ्यर्थी जिसने स्नातक परीक्षा एकल विषय में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जायेगा।

19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा ।

20. (i) ऐसे अभ्यर्थी जिसने मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में बी०ए० प्रथम/एम०ए० प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जिसमें शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय ये 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है वह बी०एड० पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 5.06.2004 के लिए निर्णयानुसार)।

21. ऐसे अभ्यर्थी जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग / इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जायेगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। (विश्वविद्यालय के कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माने जायेंगे।)

24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा ।

25. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह पुनः परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसका अस्थायी प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। परन्तु स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है और उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा। (किन्तु मैरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

28. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी। किसी नियम की अज्ञानता उसके उल्लघंन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

29. व्यक्तिगत रूप से स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सम्मिलिति होने हेतु अर्हता/समकक्षता आदि के नियम संस्थागत परीक्षार्थियों की भांति ही लागू होंगे।

30. विश्वविद्यालय के समस्त पाठयक्रमों में छात्राओं को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

31. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय iv के प्रस्तर 4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

32. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।

33. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

34. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

35. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

36. यदि छात्र उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के भीतर पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों को सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

37. विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 29.05.2024 के मद संख्या–3 में लिये गए निर्णय अनुसार ऐसे छात्र/छात्राएँ जो अपने प्रथम सेमेस्टर /वर्ष का परीक्षा फार्म भरकर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के विभाग से सत्यापित नही कराते हैं तो उनके उस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश निरस्त माने जायेंगे।

38. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

39. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वरीयता दी जायेगी लेकिन वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, वह भी समान हों तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

40. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू०जी०सी०/आई०जी०एन०ओ०यू० तथा यू०जी०सी०/एन0आई0ओ0एस0 की वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विशेष :–

(i) नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत सत्र 2021–22 से स्नातक स्तर पर भी सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। बी०ए० और बी०कॉम० पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप संचालित हो रहे हैं।

(ii) एम०ए० कक्षाओं में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के अन्तर्गत एम०ए० दो वर्षीय कोर्स हेतु कुल चार सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 90 दिन का होता है। सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाएँ नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित हो रही हैं।

(iii) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की आन्तरिक व बाह्य परीक्षा/मूल्यांकन में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थी की प्रत्येक आंतरिक परीक्षा से पूर्व 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके अभाव में परीक्षार्थी को आंतरिक परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। एक बार आंतरिक परीक्षा (आन्तरिक मूल्यांकन विधि) में अनुपस्थित रहने के बाद वह परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र/छात्रा को नियमित रूप से प्रतिदिन प्रति घंटा अपने विषय पर शिक्षक और प्रभारी के सम्पर्क में रहना अनिवार्य है जिससे कि छात्र/छात्रा को आवश्यक निर्देश मिल सकें।

नोट :

- **महाविद्यालय विवरणिका एवं विश्वविद्यालय वैबसाईट पर जारी नियमों में अन्तर की स्थिति में विश्वविद्यालय के नियम ही मान्य होंगे।**
- **महाविद्यालय विवरणिका में दिये नियमों में भी विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिवर्तन सम्भव है।**
- **ऑनलाइन अथवा क्लास रुम शिक्षण प्रशासन/विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार होगा।**

अति आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय प्रवेश करते समय सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के प्रवेश करेंगे। माननीय उच्च न्यायायल के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेश के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा। अतः कोई भी छात्र / छात्रा / अभिभावक प्रवेश या पंजीकरण के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त अनावश्यक सम्पर्क न करें।

2. विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश पूर्णतः योग्यता के आधार पर होगा।

3. वरीयता सूची में प्रवेश के लिए घोषित अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

4. छात्रवृत्ति का फार्म कॉलेज कार्यालय से प्राप्त कर प्रवेश के उपरान्त कार्यालय में शीघ्र जमा करें।

5. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ (आरक्षण / छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले विद्यार्थी) तहसीलदार द्वारा निर्गत अपना आय प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो, एवं जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

6. अभ्यर्थी आवेदन पत्रों के साथ क्रमशः हाईस्कूल, इण्टर, स्नातक आदि जो भी परीक्षा पास कर रखी है, का प्रमाण पत्र और अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें। आवश्यक प्रपत्र संलग्न नहीं करने पर प्रवेश आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और उसका प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

7. प्रवेश के समय अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं को सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर फीस देनी होगी।

8. कॉलेज परिसर में बिना परिचय–पत्र के प्रवेश वर्जित है।

9. कॉलेज परिसर में मोबाईल लाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।

10. कॉलेज परिसर में रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये जाने पर दोषी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

    "If any incident of ragging comes to the notice of the authority the concerned student shall be given freedom to explain, and if not found satisfactory, the authority has the right to, expel him from the institution."

11. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपचारिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनका परीक्षाफार्म तदनुसार निचली कक्षा में स्वतः परिवर्तित कर दिया जायेगा।

12. यदि चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में किसी छात्र का अपूर्ण परीक्षाफल बाद में पूर्ण होता है तो परीक्षाफल पूर्ण होने के बाद अगले 10 दिनों के अन्दर वह छात्र प्रवेश पाने का हकदार होगा।

नोट :– छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए जिले के बाहर बैंक खाता होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान सम्भव नहीं हो पाएगा। गाजियाबाद जिले में बचत खाता खोलना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से ही छात्रवृत्ति का भुगतान होगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

1. विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के विषयों का चयन ध्यानपूर्वक सोच समझकर करना चाहिए। एक बार निर्दिष्ट किये गये विषय अथवा सैक्शन में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. एक पीरियड की केवल एक ही उपस्थिति दी जायेगी।

3. शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक दिन की उपस्थिति ऑन–लाईन भेजी जायेगी। परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में प्राचार्य 5 प्रतिशत और कुलपति बी०एस0सी० के छात्रों को 5 प्रतिशत तथा अन्य को 10 प्रतिशत की छूट दे सकते हैं। बी०एस0सी० में 65 प्रतिशत तथा अन्य कक्षाओं में 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। उपस्थितियाँ लिखित और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में अलग–अलग गिनी जायेंगी।

4. बी०ए० में भूगोल एवं मनोविज्ञान में से एक ही प्रायोगिक विषय लेने की अनुमति होगी।

5. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के समय पूरे वर्ष का शुल्क कॉलेज कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट / चालान द्वारा जमा करना होगा।

6. प्रत्येक कक्षा का प्रवेश शुल्क उत्तर प्रदेश शासन एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा निर्धारित शुल्क सूची पर आधारित है। शुल्क उत्तर प्रदेश शासन / विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार परिवर्तित हो सकता है।

7. आरक्षण अथवा अधिभार हेतु अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। अगर वे फर्जी पाये गये तो अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। वह अपने प्रवेश या परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

8. वैध पंजीकरण एवं गोपनीय नम्बर के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

सामान्य व्यवहार सम्बन्धी निर्देश

1. इस प्रविवरण में दिए गए प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।
2. कॉलेज में सूचना पट प्रतिदिन देखें। महत्त्वपूर्ण सूचनायें छात्रों के जीवन में परिवर्तन कर देती हैं।
3. कॉलेज के सुचारू संचालन तथा इसे श्रेष्ठतम बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।
4. अपना आचरण और व्यवहार शुद्ध और निष्कलंक रखें। यदि कोई छात्र आचार, व्यवहार और भद्रता के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
5. परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिये कक्षाओं में नियमित व सही समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है।
6. कॉलेज में आवश्यक पुस्तकें, पुस्तिका–सामग्री (लेखन–उपकरण) आदि सदा अपने साथ लेकर आयें। अच्छी एवं कोर्स में निर्धारित पुस्तकों को खरीदने में धन खर्च करने को धन का सदुपयोग मानें।
7. पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में अधिक–से–अधिक समय अध्ययन में लगायें। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं, जो बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, अतः पुस्तकों पर किसी भी तरह का निशान न लगायें। किसी पन्ने को मोड़ना या फाड़ना जघन्य कार्य है। यदि कोई छात्र ऐसा करता पाया जाये तो उसकी शिकायत पुस्तकालयाध्यक्ष से करें। पुस्तकें हम सब की ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी की भी सम्पत्ति हैं और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उन्हें पुस्तकें प्राप्त करने से वंचित कर दें।

8. शारीरिक शिक्षा एवं खेलों से सम्बन्धित कार्य कलापों में भाग लिये बिना शिक्षा एकपक्षीय रह जाती है। कॉलेज में उपलब्ध खेलों की सुविधाओं का अधिक–से–अधिक लाभ उठायें।
9. ऐसे छात्र जिन्हें विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर महाविद्यालय शिक्षा संबंधी कुछ कार्य जैसे अंकतालिका, प्रवेश पत्र डिग्री आदि लेनी है, वे सीधे ही रजिस्ट्रार के पास न जाकर अपने प्रार्थना पत्र प्राचार्य अथवा उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित प्राध्यापक से अग्रसारित कराकर ही विश्वविद्यालय जायें।
10. परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र–छात्रा को पुलिस में रिपोर्ट की कॉपी तथा तत्संबंधित नोटरी का शपथ पत्र उपलब्ध कराना होगा। तभी उसे द्वितीय परिचय पत्र जारी किया जायेगा।
11. यह कॉलेज गाजियाबाद नगर की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था है। इसके छात्र होने पर आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इसके सम्मान की रक्षा के लिए कॉलेज तथा कॉलेज के बाहर भी शोभनीय तथा सज्जनों जैसा व्यवहार करेंगे। शिक्षा जगत में इस संस्था को अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके छात्र ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं। अतः ज्ञानार्जन के क्षेत्र में परिश्रम के सहारे आगे जाने की ओर प्रयत्नशील रहें।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. किसी भी छात्र अथवा छात्रा को कॉलेज परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं है। पहली बार मोबाइल पकड़े जाने पर 100/–रु० अर्थदण्ड के साथ एक सप्ताह के लिए मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा। दूसरी बार मोबाइल पकड़े जाने पर 500/–रु० अर्थदण्ड के साथ एक सप्ताह के लिए मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा। तीसरी बार मोबाइल पकड़े जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा मोबाइल भी जब्त कर लिया जायेगा।
2. कॉलेज में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई भी विद्यार्थी रैगिंग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
3. कॉलेज के सभी छात्र–छात्राओं के लिए प्रवेश के बाद अधिकतम 10 दिन के अन्दर अपना परिचय–पत्र पूर्ण कराना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में परिचय–पत्र पूर्ण नहीं होता है तो अगले 10 दिन तक, उस पर रु० 100/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इसके पश्चात अगले 10 दिनों तक रु० 220/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। प्रवेश के एक माह के बाद अगले 10 दिन तक रु० 500/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इस अवधि के बाद भी यदि परिचय–पत्र पूर्ण नहीं होता है तो उन छात्र–छात्राओं का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. परिचय–पत्र खो जाने की स्थिति में छात्र–छात्राओं को पुलिस में रिपोर्ट की कॉपी तथा तत्सम्बन्धित नोटरी क ी शपथ–पत्र उपलब्ध कराना होगा तभी उसे द्वितीय परिचय पत्र जारी किया जा सकेगा।
5. परिचय पत्र और प्रार्थना पत्र के लिए पासपोर्ट साइज के तीन फोटो की आवश्यकता होगी। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कुछ फोटो चाहिएँ। अतः एक साथ 6 फोटो बनवा लेने चाहिएँ।
6. फोटो के चेहरे के दोनों पार्श्व दिखाई देने चाहिए। फोटो के नीचे का सफेद भाग मुख्य नियन्ता के हस्ताक्षर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। छात्र अपने हस्ताक्षर फोटो पर ना करें। नीचे नियत स्थान पर करें। दाढ़ी–मूंछ या सिर के बालों का रूप बदलने पर नया फोटो खिंचवाकर उसे मुख्य नियन्ता द्वारा स्वीकृत अवश्य करालें।
7. अपना वाहन कॉलेज के मुख्य द्वार पर कदापि खड़ा न करें।
8. विद्यालय के बरामदे में न घूमें और कक्षाओं के सामने से गुजरते हुए बात न करें, क्योंकि ऐसा करने से कक्षा में छात्रों के अध्ययन और शिक्षकों के अध्यापन में विघ्न पड़ता है। नियम का पालन न करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
9. कॉलेज परिसर में लगे पेड़–पौधों को नुकसान पहुँचाना, दीवारों व कक्षाओं को गंदा करना या उन पर कुछ ि ल ख ा न ा दण्डनीय है।

10. अपने सहपाठियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। उच्च कोटि के अध्यापक–छात्र सम्बन्ध इस कॉलेज की विशेष परम्परा है, इसका निर्वहन निश्चित तौर पर करें।
11. यदि किसी छात्र/छात्रा को किसी कारण महाविद्यालय से निलम्बित किया गया है तो उसके निलम्बन की समाप्ति उसके द्वारा नोटरी का शपथपत्र व माफीनामा देने पर ही की जाएगी। नोटरी का शपथपत्र न देने की स्थिति में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
12. पाँच रु० या उससे अधिक की राशि को दंडित छात्र कॉलेज के किसी भी प्रशासनिक समिति में कोई पद नहीं पा सकेंगे और न ही उन्हें शुल्क मुक्ति का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
13. किसी भी नियम की अवहेलना दंडनीय है। नियम की जानकारी न होना भी छात्र को निर्दोष सिद्ध नहीं करता।
14. काली सूची में डाले गए छात्रों का चरित्र प्रमाणपत्र किसी भी स्थिति में नहीं बनेगा।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए हर छात्र को पुस्तकालय कार्ड दिए जाएँगे। यह कार्ड पाने के लिए सदस्यता फॉर्म भरकर पुस्तकालय में जमा करना होता है। पुस्तकालय कार्ड प्रवेश लेने के लिए एक माह बाद तक ही छात्रों को दिए जाएँगे।
2. शोधार्थियों एवं स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को चार एवं स्नातक स्तर पर तीन पुस्तकालय कार्ड दिए जाएँगे। पुस्तकालय कार्ड केवल उन छात्रों को दिए जाएँगे जो महाविद्यालय द्वारा निश्चित पुस्तकालय प्रतिभूति जमा करा देंगे। एक पुस्तकालय कार्ड पर केवल एक ही पुस्तक दी जाएगी। पुस्तक कार्डधारक को दी जाएगी अन्य छात्र व परिचित को नहीं। पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र को पुस्तकालय कार्ड के साथ कॉलेज परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को निर्धारित काउंटर पर पर्ची देनी होगी जिसमें पुस्तक व लेखक का नाम आदि लिखना होगा। यदि पुस्तक उपलब्ध है तो उसी समय या अगले कार्य दिवस में दी जाएगी।
4. पुस्तक केवल 14 दिन के लिए ही दी जाएगी। पुस्तक को निर्धारित तिथि पर जमा कराना होगा। अन्यथा 1 रु० प्रतिदिन प्रति पुस्तक की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा। असाधारण अवस्था में यह धन बढ़ाया जा सकता है।
5. पुस्तक प्राप्त करते समय छात्रों का यह कर्तव्य हो जाता है कि पुस्तक को अच्छी तरह देख लें कि पुस्तक अच्छी हालत में तो है, कहीं से पृष्ठ कटे–फटे तो नहीं हैं। यदि पुस्तक अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसी दशा में तुरन्त काउन्टर पर या पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें। जमा करते समय पुस्तक में कोई कमी पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व छात्र पर होगा, जिसके लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।
6. छात्रों को केवल उसी विषय की पुस्तक दी जाएगी जिन विषयों में वह अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य पुस्तकें जैसे उपन्यास आदि भी (यदि उपलब्ध होंगे तो) पुस्तकालय कार्ड पर दिए जा सकते हैं।
7. यदि किसी छात्र का पुस्तकालय कार्ड खो जाता है तो उसकी एक लिखित सूचना पुस्तकालय को दें। यदि पुस्तकालय अध्यक्ष इस तथ्य से सहमत हैं तब एक निश्चित अवधि के पश्चात् दूसरा कार्ड निश्चित फीस जमा करने पर दिया जायेगा। सामान्यतः सूचना देने के एक माह के उपरान्त दूसरा कार्ड बनाया जायेगा। यदि खोये कार्ड पर अन्य छात्र पुस्तक निकलवा लेता है तो उसका उत्तरदायित्व कार्डधारक का होगा।
8. सन्दर्भ ग्रन्थ (शब्द कोश, शोध प्रबन्ध, अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आदि) पुस्तकालय से बाहर नहीं ले जा सकते हैं।
9. छात्रों का बिना अनुमति पुस्तक संग्रहालय में प्रवेश वर्जित है।
10. विशेष स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष किसी भी छात्र से किसी भी पुस्तक को वापस करने का आदेश दे सकते हैं।

11. छात्रों को पुस्तकें परीक्षाएँ आरम्भ होने से पहले ही पुस्तकालय को वापिस करनी होगी। पुस्तक वापस न करने की दशा में परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है।
12. पुस्तकालय की पुस्तकें खोने, चोरी, जलने व फटी पायी जाने की स्थिति में छात्रों को उक्त पुस्तक का 3 गुना मूल्य जमा करना होगा या पुस्तक का नवीन संस्करण पुस्तकालय में प्रतिस्थापना के लिए जमा करना होगा।

सामान्य निर्देश

1. प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा कि वह पुस्तकालय के नियमों से परिचित है।
2. नोट बुक के अतिरिक्त कोई भी सामान पुस्तकालय के अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामान पुस्तकालय के बाहर सम्पत्ति विभाग में रखना होगा। सामान के बदले टोकन अवश्य प्राप्त कर लें।
3. टोकन खो जाने की सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को दें। टोकन का एक रुपया दण्ड स्वरूप वसूल किया जायेगा।
4. पुस्तकालय में अध्ययन के दौरान शान्ति बनाये रखें।
5. पुस्तकालय में भद्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। यदि कोई छात्र अभद्र व्यवहार करेगा अथवा पुस्तकालय की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो वह दण्ड का भागी होगा। साथ ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

शम्भु दयाल कॉलेज, गाजियाबाद

प्रबन्ध समिति

1.	श्री अनुज धर्म गर्ग	अध्यक्ष
2.	श्री राकेश गर्ग	सचिव
3.	श्री नरेश कुमार	सह सचिव
4.	श्री अतुल गोयल	कोषाध्यक्ष
5.	श्री आशीष जैन	सदस्य
6.	श्री रीतेश जिन्दल	सदस्य
7.	प्रो० रोचना मित्तल	प्राचार्या
8.	डॉ० जय कुमार सरोहा	शिक्षक प्रतिनिधि
9.	डॉ० प्रियंका सिंह	शिक्षक प्रतिनिधि
10.	श्री राजकुमार यादव	तृतीय श्रेणी कर्मचारी प्रतिनिधि

FEES SCHEDULE FOR THE YEAR 2026-2027

FOR B.A. I/II/III BOYS/SC BOYS

HEAD OF THE FEES	B.A. I	B.A. II	B.A. III
WITHOUT PRACTICAL SUBJECT	2528	2428	2428
WITH PRACTICAL SUBJECT	2768	2668	2668

FOR B.A. I/II/III GIRLS/SC GIRLS

HEAD OF THE FEES	B.A. I	B.A. II	B.A. III
WITHOUT PRACTICAL SUBJECT	2396	2296	2296
WITH PRACTICAL SUBJECT	2636	2536	2536

FOR B.Com. I/II/III BOYS/GIRLS/SC

HEAD OF THE FEES	B.Com. I	B.Com. II	B.Com. III
STUDENTS OTHER THAN U.P. BOARD	20000	18750	18750

FOR M.A. I/II BOYS/SC BOYS

HEAD OF THE FEES	WITHOUT PRACTICAL SUBJECT		WITH PRACTICAL SUBJECT	
	M.A. I	M.A. II	M.A. I	M.A. II
TOTAL	2232	2082	2472	2322

FOR M.A. I/II GIRLS/SC GIRLS

HEAD OF THE FEES	WITHOUT PRACTICAL SUBJECT		WITH PRACTICAL SUBJECT	
	M.A. I	M.A. II	M.A. I	M.A. II
TOTAL	2052	1902	2292	2142

FOR B.Ed. I/II BOYS/GIRLS/SC

HEAD OF THE FEES	B.Ed. I	B.Ed. II
	Univ. Fees	Univ. Fees
TOTAL	51250	30000

उ०प्र० शासन अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उक्त शुल्क में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है। तो वह परिवर्तन प्रत्येक प्रवेशार्थी के लिए मान्य होगा।

परिचय–पत्र हेतु

विद्यार्थी का नाम .....

पिता का नाम .....

माता का नाम .....

जन्म तिथि .....

कक्षा (विषय सहित) .....

स्थाई पता .....

.....

फोन नं0 .....

मोबाईल नं0 .....

विद्यार्थी
का
पासपोर्ट साईज
फोटो

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक
का
पासपोर्ट साईज
फोटो

अभिभावक के हस्ताक्षर

(अनुशासन अधिकारी)

(प्रवेश अधिकारी)

Tel.: 0120-4373329, 2833251
Website: www.sdpgcollegegzb.com

SHAMBHU DAYAL (P.G.) COLLEGE, GHAZIABAD

Form for admission to Regular/Self financing Course

Class ..... Session : .....

MAJOR SUBJECTS (1) ..... (2) .....

MINOR ELECTIVE COURSES (1) ..... Co-Curicular (1) .....

SKILL DEVELOPMENT COURSE (1) ..... (2) .....

Instructions :
1. Read the admission related information Carefully before filling the admission form.
2. Use the black/blue pen for filling the form.
3. Tick the relevant boxes. Write within boxes and the details such as name, subject, class, address etc. In capital letters.
4. Keep record of university password, Retain photocopy of Registration & Admission.

University Registration No.

Date of Registration

For College Office use:
College Registration:
No. .....
Date : .....

Signature of clerk .....

1. Name of the Candidate (IN BLOCK LETTERS) (do not write Shri/Smt./Km./Ms./Dr. Etc)

2. Father's Name (IN BLOCK LETTERS)

3. Mother's Name (IN BLOCK LETTERS)

4. Date of Birth ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ 5. Nationality .....

6. Sex	7. Category	8. Sub-Category	9. Original Resident of	10. Guardians
Male ☐	Gen* ☐ ST* ☐	PH* ☐	UP ☐	(A) Occupation
Female ☐	SC* ☐ OBC* ☐	Ex-Ser/DEP* ☐	State other than UP ☐	.....
		DEP FF* ☐		(B) Income (per annum)
		Minority ☐		Rs. .....

11. Address (IN BLOCK LETTERS)

Permanent Address
.....
.....
.....
.....
Pin ☐☐☐☐☐☐
Phone .....
Mob. : .....
AADHAR No. .....
E-mail : .....

Address for Correspondence
.....
.....
.....
.....
Pin ☐☐☐☐☐☐
Phone .....
Mob. : .....
AADHAR No. .....
E-mail : .....

Space for self attested Photograph

Do not Pin or Staple

Paste recent clear Passport Size photograph

12. Signature of Candidate

13. Weightages claimed :

(a) Participation in Sports	(B) Graduate from	(C) Spouse/Son/Daughter of	(D) Any Other weightage / Information
National Level ☐	C.C.S. University ☐	Permanents employees of C.C.S. University of its affiliated Colleges ☐	College Registration:
State Level ☐	Other University ☐	(d) N.C.C./N.S.S. ☐	1. .....
Inter University ☐	Honours Degree ☐	(e) Scouts/Guides ☐	2. .....
or		(f) Rovers Rangers ☐	3. .....
Training Certificate from sports authority of India (SAI) ☐			4. .....

***Gen: General; SC: Schedule Caste; ST: Schedule Tribe; OBC; Other Backward Class;PH:Physically Handicapped; Ex-ser/Dep.: Ex Service man/Dependent; Dep F.F.: Dependent of Freedom Fighter.**

14. Academic Qualification :

Examination Passed	Year	Div.	%	Subjects Taken	School/College	Board/University
High School						
Intermediate						
B.A./B.Sc./B.Com.						
M.A./M.Sc./M.Com.						
Others						

15. Whether you were punished for any offence/unfair means committed by you in the previously attended or the present institution.
If yes, give details .....

16. If the result of the qualifying examination is not yet declared, submit a certificate from the Head of the institution to the effect that the candidate has appeared in all theory/Practical papers of the qualifying examination.

Undertaking

1. **I shall obey in letter and spirit the rules and regulations formulated by the University and the college and shall be personally responsible for obeying the same.**

2. **That I shall not indulge in any activity that comes under indiscipline nor shall be involved in any action that has been declared against the conduct rules.**

3. **That at no stage I shall be involved in ragging and shall also cooperate in reporting any such matter to authorities if UI come to know about this.**

4. **That I shall be personally responsible to complete my assignments and submit them in time for assessment and evaluation.**

5. **That I shall ensure that I am regular and punctual in my classes and attempt to complete 100% attendance but not less than 75% under any circumstances.**

6. **That I am at present not a student of any other College/University and shall not be appearing at any other examination leading to a degree.**

7. **That I am not involved in any legal matter as well as no F.I.R. is registered against me.**

8. **That my name is registered in voter list or I have attached form 6 with this form.**

I have read the above points carefully and shall be responsible for following them.
I hereby declare that the information given in this application form is true to best of my knowledge and belief. In case any information is found untrue, the university/college can cancel my admission; Admission; for that no claim for refund of fee would raised by me nor challenges in any court of law.

Dated:

Signature of Parents/Guardian

Signature of the applicant him/herself

घोषणा

1. मैं सदैव विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों व परिनियमों का अक्षरक्षः पालन करूँगा तथा उनके अनुपालन के लिए व्यक्तिगत मैं उत्तरदायी रहूँगा।
2. कि मैं ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं रहूँगा जो अनुशासनहीनता की परिधि में आती हो और न ही ऐसे किसी कार्य में संलिप्त रहूँगा जो आचार संहिता के विरुद्ध हो।
3. कि मैं किसी भी स्तर पर मैं रैगिंग में संलग्न नहीं रहूँगा तथा जब भी मेरे संज्ञान में ऐसी घटना होगी तो उसे मैं सक्षम अधिकारियों को बताने में पूरा सहयोग करूँगा।
4. कि मैं असाइनमैंट को समय से पूरा तथा उनके परीक्षण व आंकलन के लिए उन्हें समय पर प्रस्तुत करूँगा।
5. कि मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि मैं कक्षाओं में निरन्तर व नियमित से आऊँगा और प्रयास करूँगा कि मेरी उपस्थिति 100% हो या कम से कम 75% हो।
6. कि मैं वर्तमान में किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का छात्र नहीं हूँ और इस कोर्स में प्रवेश के बाद अध्ययन के दौरान नही ऐसी किसी परीक्षा में प्रविष्ट हाऊँगा जो स्नातक/परास्नातक उपाधि की होगी।
7. कि मैं वर्तमान में किसी भी दण्डनीय अपराध में लिप्त नहीं हूँ। मेरे खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है।
8. कि मेरा नाम मतदाता सूची में पहले से शामिल है अथवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए मैंने फार्म 6 भरकर संलग्न कर दिया है।

मैंने उपर्युक्त निर्देशों को भली–भाँति पढ़ लिया है और मैं उनके अनुशीलन के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना जो आवेदन पत्र में दी गयी है वह मेरे संज्ञान और विश्वास में सत्य है। अगर किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त सूचना असत्य होगी तो मेरा प्रवेश विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाये, इसके विरुद्ध मैं शुल्क वापसी का न तो दावा प्रस्तुत करूँगा/करूँगी और न ही न्यायालय में इसे चुनौती दूँगा/दूँगी।

दिनांकः

अभिभावक के हस्ताक्षर

Note :

आवेदक के हस्ताक्षर

1. No other person is allowed to sign on behalf of the applicant.
2. The applicant is required to enclose self attested photocopy of every relevant information related to academic record, age, reserved category, weightage (s) etc.
3. The applicant is also required to enclose any identity proof such as photocopy of I-Card/ Exam Admit Card of last exam passed/D.L./PAN Card/Bank account Pass Book with photo.

For Admission Commitee/Official Purpose:

1. Merit .....Category: Gen/OBC/SC/ST.....

2. Weightage/s.....

3. Remarks, if any.....
.....

(Checker) **(Admission Incharge)**

प्रवेश फार्म के साथ लगाने हेतु संलग्नक

(क) हाई स्कूल अंक तालिका

(ख) इन्टरमीडिएट अंक तालिका

(ग) चरित्र प्रमाण–पत्र

(घ) स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.)

(ड.) जाति प्रमाण–पत्र (सामान्य वर्ग के अतिरिक्त)

(च) आय प्रमाण–पत्र (जो छात्र, छात्रवृत्ति के लिए अर्ह है)

(छ) मूल निवास प्रमाण–पत्र (उ.प्र. राज्य के वे छात्र जिन्होंने इन्टरमीडिएट/स्नातक की परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण की है।)

(ज) अधिभार हेतु सम्बन्धित प्रमाण–पत्र

(झ) आधार कार्ड

(ट) शपथ पत्र (गैप की स्थिति में)

नोट :– इनमें चरित्र प्रमाणपत्र, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र एवं शपथपत्र को ओरिजनल जमा करना होगा। अन्य की फोटोप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होंगी।